220

संख्या–1431/IV(2)-श0वि0–2016–104(सा0)/2014

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 अगस्त, 2016

विषय : **नगर पालिका परिषद, मसूरी के अन्तर्गत निर्माणाधीन ए0बी0सी0 कैम्पस हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक का शासनादेश सं0 804/IV(2)–श0वि0–2015–104(सा0)/2014 दिनांक 20.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद, मसूरी को ए0बी0सी0 कैम्पस के निर्माण हेतु ₹ 58.25 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी के पत्रांक–79/नि0वि0/2016–17 दिनांक 19.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, मसूरी को उक्त निर्माणाधीन कार्य हेतु अवशेष धनराशि **₹ 28.25 लाख (₹ अठाईस लाख पच्चीस हजार मात्र)** व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **₹ 28.25 लाख (₹ अठाईस लाख पच्चीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, मसूरी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) अवमुक्त की जारी धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर दिया गया है।

(iii) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(iv) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(v) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(vi) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(viii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

.2/-....

(ix) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(x) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी

(xi) धनराशि का दिनांक 31–3–2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xii) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016, दि0–26.07.2016 में दिए गए दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता– 03–नगरों का समेकित विकास(एस0पी0ए0)–26–श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण –'20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

संलग्नः–अलॉटमेन्ट आई डी–S 160813 0646

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0–1431 (1)/IV(2)-श0वि0–2016–104(सा0)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड , देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।